राजस्थान विधान सभा सचिवालय

-आज्ञा-

संख्या: 192/संस्था/विस/2020 जयपुर, दिनांक 01 अप्रेल, 2020

इस सचिवालय की आज्ञा संख्या 190/संस्था/विस/2020 दिनांक 24.03.2020 के द्वारा राजस्थान विधान सभा में दिनांक 31.03.2020 तक निर्देशानुसार लॉक डाऊन के तहत पूर्ण बंद रखे जाने के निर्देश जारी किये गये थे। भारत सरकार के आदेश क्रमांक:- 40-3/2020-डीएम-T(ए) दिनांक 24.03.2020 एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक:- प.33(2)गृह-9/2019 दिनांक 26.03.2020 के अनुक्रम में विधान सभा में लॉक डाऊन हेतु निर्धारित समयावधि में एतद् द्वारा दिनांक 14.04.2020 तक वृद्धि की जाती है। इसी क्रम में उसकी क्रियान्विति हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. राजस्थान विधान सभा सचिवालय में आम जन के प्रवेश पर पूर्णत: प्रतिबन्ध रहेगा।
2. राजस्थान विधान सभा सचिवालय में आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभाग यथा: सुरक्षा, स्टोर कीपर (प्रत्येक स्टोर में एक कार्मिक अथवा आवश्यकतानुसार न्यूनतम कार्मिक) केयर टेकर, सहायक सचिव (सुरक्षा), इस सचिवालय में वेतन बिल एवं अन्य बिल पास करने हेतु न्यूनतम कार्मिकों सहित वित्तीय सलाहकार, आहरण एवं वितरण अधिकारी प्रथम एवं द्वितीय, अन्य विभागों के सार्वजनिक निर्माण विभाग की सिविल, विद्युत, उद्यान व पीएचईडी के कार्मिक कार्यालय में आवश्यकतानुसार उपस्थित रहेंगे।
3. विधान सभा सचिवालय परिसर में संचालित अत्यावश्यक सेवाओं में राजकीय एलोपेथिक/आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक/यूनानी चिकित्सालय में एवं सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड का डिपार्टमेण्टल स्टोर एवं औषधि भण्डार स्टोर लॉक डाऊन अवधि में आवश्यकतानुसार नियमित रूप से खुले रहेंगे, जिनमें पदस्थापित न्यूनतम स्टाफ अपनी सेवाएं देंगे।
4. उपरोक्त आवश्यक सेवाओं से संबंधित अनुभाग के अधिकारी अनुभाग में यथासम्भव न्यूनतम कार्मिकों को आवश्यकतानुसार कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।
5. जिन कार्मिकों की स्थिति घर से कार्य करने की हैं, वे दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें कार्यालय बुलाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त सुरक्षा के प्रभारी अधिकारी, मार्शल यह सुनिश्चित करेंगे कि विधान सभा परिसर की सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं और वर्तमान परिस्थिति में सोशन डिस्टेंसिंग की अपरिहार्यता के दृष्टिगत वस्तुस्थिति की निरन्तर समीक्षा करते हुए अन्य दिवसों में उनके अन्तर्गत कार्यरत कार्मिकों की तैनाती संख्या आवश्यकतानुसार रखी जाए।

यह निर्देश दिनांक 14 अप्रेल, 2020 तक प्रभावी रहेंगे।

आज्ञा से,

1.4.2020

(प्रमिल कुमार माथुर)
सचिव

P.T.O

Scanned with CamScanner

संख्या: एफ.8(1)संस्था/विस/2005-2020/2788-3087 जयपुर, दिनांक 01 अप्रेल, 2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित है :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय सरकारी मुख्य सचेतक/माननीय नेता प्रतिपक्ष/माननीय सरकारी उप मुख्य सचेतक, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
3. माननीय मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. समस्त मंत्रियों/राज्य मंत्रियों के विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. समस्त माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
6. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. निजी सचिव, सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
8. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. पुलिस कमिश्नर, कमिश्नरेट जयपुर, (कृपया वे समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित करें कि लॉक डाऊन के दौरान कार्यरत अधिकारियों/कार्मिकों के परिचय-पत्र देखकर अवागमन की अनुमति प्रदान करावें।)
10. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
11. निजी सचिव/अतिरिक्त निजी सचिव/आशुलिपिक, वरिष्ठ उप सचिव/समस्त उप सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
12. सम्पादक (वाद-विवाद/मुद्रण)/मार्शल/मुख्य अन्वेषण एवं सन्दर्भ अधिकारी/पुस्तकालयाधिकारी एवं सहायक मार्शल, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
13. राजस्थान विधान सभा सचिवालय के समस्त सहायक सचिव/शाखाधिकारियों को अधीनस्थ स्टाफ के प्रसारणार्थ।
14. तकनीकी निदेशक, NIC, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
15. पंजीयक, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, राजकीय एलोपेथिक चिकित्सालय विधान सभा। वे कृपया लॉक डाऊन अवधि में नियमित रूप से डिस्पेन्सरी संचालित करते हुए डिस्पेन्शरी में एक चिकित्सक, एक लैब टेक्निशियन व एक-एक मेल/फिमेल नर्स तथा एक वार्ड ब्वाय की ड्यूटी लगाते हुए व्यवस्था को सुनिश्चित करावें।
17. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, आयुर्वेदिक/होम्योपेथिक/यूनानी चिकित्सालय विधान सभा, जयपुर। वे कृपया डिस्पेन्सरी का नियमित रूप से लॉक डाऊन अवधि में संचालन करावे। डिस्पेन्सरी में एक चिकित्सक एवं एक कम्पाउन्डर व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियमित रूप से व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
18. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड़, सहकार भवन, जयपुर। वे कृपया विधान सभा स्थित उपभोक्ता भण्डार को नियमित रूप से लॉक डाऊन अवधि में संचालित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें तथा उक्त स्टोर में उपभोक्ता सामग्री की माकूल व्यवस्था भी सुनिश्चित करावें ताकि माननीय सदस्यों व स्टाफ को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
19. प्रबन्ध निदेशक(कान्फेड़ मेडिकल), राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड़, एस.जी.आर नेहरू पैलेस, जयपुर। वे कृपया विधान सभा में स्थित उपभोक्ता भण्डार में औषधियों की माकूल व्यवस्था को सुनिश्चित करें ताकि माननीय सदस्यों व स्टाफ को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
20. जन सम्पर्क प्रकोष्ठ, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
21. उप कोषाधिकारी, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
22. सहायक अभियन्ता (सिविल/विद्युत), सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान विधान सभा परिसर, जयपुर।
23. कनिष्ठ अभियन्ता (विद्युत), राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
24. मैनेजर, राजस्थान विधान सभा सचिवालय, मिल्क बार/उपहार गृह, जयपुर।
25. प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, राजस्थान विधान सभा शाखा, जयपुर।
26. प्रभारी, रोडवेज/रेलवे आरक्षण काउन्टर/डाक घर, राजस्थान विधान सभा परिसर, जयपुर।
27. प्रभारी, सहकारी उपभोक्ता भंडार/कान्फेड़ मेडिकल स्टोर, राजस्थान राज्य उपभोक्ता सहकारी संघ, विधान सभा परिसर, जयपुर। वे कृपया आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।
28. डेशबोर्ड/इन्ट्रानेट (10.130.10.6), राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
29. संबंधित पंजिका

01/04/2020

(डॉ. राहुल पारीक)

सहायक सचिव (संस्थापन)

C:\Users\Dell\Desktop\ORDER-HOLIDAY.doc/54

Scanned with CamScanner